*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०नि०–02–06/2019 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 13 विभिन्न स्थानों पर अस्थाई ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन अधिष्ठापित करने हेतु कुल ₹656.20 लाख (छः करोड़ छप्पन लाख बीस हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

आगामी मॉनसून, 2020 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए तथा पटना जल जमाव जाँच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 13 विभिन्न स्थानों पर अस्थाई ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन अधिष्ठापित करने हेतु तालिका के स्तम्भ– 4 में अंकित पत्रों के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा कुल ₹656.20 लाख (छः करोड़ छप्पन लाख बीस हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित विभिन्न स्थानों पर अस्थायी ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशनों के अधिष्ठापन हेतु तालिका के स्तम्भ– 5 में प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा की गई अधियाचना के अनुरूप स्तम्भ– 6 में अंकित कुल ₹656.20 लाख (छः करोड़ छप्पन लाख बीस हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन मद से राशि के व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	अस्थायी ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन अधिष्ठापन का स्थल	प्रबंध निदेशक, बुडको का पत्रांक/दिनाक	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, पटना	Temporary Drainage Pumping Station at Bakari Bazar, Under Bankipur Anchal Buidco.	1450/ 18.02.2020	49.98000	49.98000
2		Temporary Drainage Pumping Station at Digha Under Patliputra Division, Buidco.	1446/ 18.02.2020	49.98000	49.98000

3		Temporary Drainage Pumping Station at Rajiv Nagar under Patliputra Division, Buidco.		49.9800	49.9800
4		Construction of Temporary Drainage Pumping Station at Near Big Hospital under Azimabad Division, Buidco.	1447/ 18.02.2020	53.24000	53.24000
5		Construction of Temporary Drainage Pumping Station at Prem Kunj, Pahari Under Azimabad Divison, Buidco.		53.18000	53.18000
6		Construction of Temporary Draiange Pumping Station at Sri Nagar Colony Kumharar Under Kankarbagh Anchal Patna.	1448/ 18.02.2020	49.98000	49.98000
7		Construction of Temporary Drainage Pumping Station at Nandlal Chhapra under Kankarbagh Anchal Patna.		49.98000	49.98000
8		Construction of Temporary Drainage Pumping Station at Jaganpura under Kankarbagh Anchal Patna.		49.98000	49.98000
9		Construction of Temporary Drainage Pumping Station at Dasratha under Kankarbagh Anchal Patna.		49.98000	49.98000
10		Temporary Drainage Pumping Station at Batura Pul, Beur under Nutan Rajdhani Anchal Buidco.	1449/ 18.02.2020	49.98000	49.98000
11		Temporary Drainage Pumping Station at Rupeshpur, Near Elivated Bridge under Nutan Rajdhani Anchal Buidco.		49.98000	49.98000
12		Temporary Drainage Pumping Station at Sabri Nagar, under Nutan Rajdhani Anchal Buidco.		49.98000	49.98000
13		Temporary Drainage Pumping Station at Maurya Bihar, Beur under Nutan Rajdhani Anchal Buidco.		49.98000	49.98000
			योग	656.20000	656.20000

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹656.20 लाख (छः करोड़ छप्पन लाख बीस हजार रु०) मात्र।

3. उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹656.20 लाख (छः करोड़ छप्पन लाख बीस हजार रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, पटना के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **तदोपरांत नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा राशि का हस्तांतरण कार्यकारी एजेंसी बुडको को किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

5. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ङ) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. स्वीकृत कुल राशि ₹656.20 लाख (छः करोड़ छप्पन लाख बीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष– 02–मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2215021910102**, विषय शीर्ष– 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

8. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(i) योजनाओं का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जाएगा।

(ii) **योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(iii) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iv) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में आवश्यकतानुसार नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना से आवश्यक समन्वय स्थापित कर लिया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्राप्त कर ली जाएगी।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. दिनांक– 27.02.2020 को आयोजित स्क्रीनिग समिति के बैठक में योजना के स्वीकृति की अनुशंसा प्राप्त है।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/ना०नि०–02–06/2019 के पृष्ठ सं०–......12......./टि० पर दिनांक–03/03/2020 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–......13......./टि० पर दिनांक–03/03/2020 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–06/2019 237 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–05/03/2020

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/मुख्य अभियंता, बुडको/कार्यपालक अभियंता, बुडको, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।